FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0267 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/11/2024 17:41 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 02/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 03/08/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:05 बजे **Time To (समय तक):** 12:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/11/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/11/2024 17:41:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 50 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** AAROP NARAYAN LAL,SARPANCH KE KHILAN ME BANE GHAR PAR, GRAM PIPALKHEDI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ASHARAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMLAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 01/01/1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM KHIRIYA, SHAHBAD, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM KHIRIYA, SHAHBAD, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NARAYAN LAL		पिता:GHANSILAL	1. GRAM KHIRIYA,SHAHABAD,SHAHABAD,BARAN,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** **(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)** **(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, हालात् घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 02.08.2024 समय 11.05 एएम पर मन् प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर [redacted] पर परिवादी श्री आशाराम ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से कॉल कर बताया कि मेरे व मेरे पिताजी के पीएम जनमन योजना के तहत आवास पास हुआ है। जिसकी प्रथम किश्त पास हो गई है तथा हमने उपयोग में भी ले ली है। इसके बाद दूसरी किश्त के 70000रू0 मेरे व मेरे पिता के एसबीआई के खाते में जमा हो गये है। जिस पर होल्ड लगा हुआ है। हमारे गांव का सरपंच श्री नारायण लाल मेहता मुझसे मेरे खातों में से राशि निकलवाने का होल्ड हटवाने के लिए मेरे कागजो पर हस्ताक्षर करने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है इस पर परिवादी को एसीबी कार्यालय आने की कहा परन्तु परिवादी ने आने में असमर्थता व्यक्त की जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी से खिरिया में सुरक्षित जगह पर रूककर इंतजार करने की कहा। मन उप अधीक्षक पुलिस ने मालखाना से डीवीआर व मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को डिजिटल वोईस रिकार्डर में डालकर चैक किया व स्वयं के पास सुरक्षित रखा। समय 11.20 एएम पर प्राप्त सूचना के आधार पर अग्रिम कार्यवाही हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस मय डीवीआर व मेमोरी कार्ड मय श्री दिनेश कानि0 360 व चालक श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 मय सरकारी वाहन के परिवादी श्री आशाराम के ग्राम खिरिया तहसील शाहबाद जिला बारां रवाना होकर समय 12.20 पीएम पर पर ग्राम खिरिया में परिवादी श्री आशाराम के पास पहुंचा, जहां परिवादी श्री आशाराम पुत्र रामलाल उम्र 35 वर्ष गांव खिरिया तह0 शाहबाद जिला बारां उपस्थित मिला। परिवादी श्री आशाराम ने अपना पूर्ण परिचय देते हुये एक टाइ०्रपशुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैं ग्राम खिरिया तहसील शाहबाद जिला बारां का निवासी हूं तथा मजदूरी का काम करता हूं। मुझे लिखना पढना कम आता है। मै अपने हस्ताक्षर करना जानता हूं । मेरे व मेरे पिता रामलाल जी के नाम पी0एम0 जनमन योजना के अन्तर्गत आवास स्वीकृत हुआ था। जिसकी प्रथम किश्त पास हो गई है तथा हमने उपयोग में भी ले ली है। इसके बाद दूसरी किश्त के 70000रू0 मेरे व मेरे पिता रामलालजी के एसबीआई के खाते में जमा हो गये है। परन्तु हमारे खाते होल्ड हो रखे है। खातों के होल्ड को हटवाने के लिये मैने ईमित्र से आवेदन लेकर उस पर हमारे हल्के के ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, एएनएम, वार्डपंच व अन्य जनप्रतिनिधि के हस्ताक्षर करवा लिये है। इसके बाद में आवेदन फार्म पर हमारी ग्राम पंचायत पीपलखेडी के सरपंच साहब श्री नारायण लाल के हस्ताक्षर करवाने के लिये उनसे जाकर मिला तो वह हमारे दोनो खातों का होल्ड हटवाने के लिए पांच पांच हजार रूपये कुल 10000 रूपये की रिश्वत मांग कर रहा है। मैं उक्त सरपंच को रिश्वत नही देना चाहता तथा उसे रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूं। मेरी उक्त सरपंच से कोई दुश्मनी व उधार लेन देन बकाया नही है। मेरे व मेरे पिताजी रामलाल जी के पीएम जनमन के दो कागज जिस पर सरपंच साहब के हस्ताक्षर होने है, मेरी एसबीआई बैंक की पासबुक की फोटो प्रति व मेरा आधारा कार्ड संलग्न है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।" परिवादी श्री आशाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव मजमून दरियाप्त से मामला भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधि मे आना पाया जाता है इसलिऐ रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से परिवादी श्री आशाराम सहरिया को डीवीआर चालू व बन्द करने का तरीका समझाकर परिवादी श्री आशाराम का श्री दिनेश कानि0 360 से परिचय करवाया गया। परिवादी श्री आशाराम से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने की कहा तो परिवादी ने बताया कि मैंने आज सरपंच साहब से फोन पर बात की थी तो उन्होने मुझे कल मिलने की बोला है। परिवादी के कथनानुसार आरोपी सरपंच नारायण लाल ने परिवादी श्री आशाराम को दिनांक 03.08.2024 को मिलने की बोला है। अतः रिश्वत मांग को गोपनीय सत्यापन करवाया जाना संभव नही हो सका। दिनांक 03.08.2024 को उसके गांव खिरिया में दिनेश कानि0 360 को परिवादी से गोपनीय सत्यापन की अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित मिलने व गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत की गई। समय 2.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मय हमराहीयान मय सरकारी वाहन के एसीबी चैकी बारां के लिये रवाना होकर समय 3.30 पीएम पर एसीबी चैकी बारां पहुंचा। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। श्री दिनेश कुमार कानि0 360 को दिनांक 03.08.2024 को 8.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की। दिनांक 02.08.2024 को परिवादी के बताये अनुसार दिनांक 03.08.2024 को आरोपी सरपंच नारायण लाल व परिवादी आशाराम के बीच रिश्वत मांग वार्ता होनी थी। इप पर दिनांक 03.08.2024 समय 8.00 एएम पर श्री दिनेश कानि0 360 को मालखाने से डीवीआर मय मेमोरी कार्ड निकालकर चैक कर सुपुर्द किया तथा परिवादी श्री आशाराम से मिलकर रिश्वत

मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया गया। फर्द सुपुर्दगी डीवीआर पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 8.30 एएम पर श्री दिनेश कानि0 360 को मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड के परिवादी श्री आशाराम से सम्पर्क कर सन्दिग्ध आरोपी सरपंच नारायण लाल व परिवादी के बीच होने वाली रिश्वत मांग वार्ता का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु परिवादी के ग्राम खिरिया रवाना किया गया। जो बाद सत्यापन समय 12.30 पीएम. पर मय डीवीआर मय मेमोरी कार्ड उपस्थित कार्यालय आया और डीवीआर मन उप अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि "मैं आपके निर्देशानुसार डीवीआर मय मेमोरी कार्ड लेकर परिवादी के पास ग्राम खिरिया पहुंचा, जहां परिवादी आशाराम उपस्थित मिला। परिवादी ने बताया कि आज श्री नारायण लाल मेहता सरपंच निवासी पीपलखेडी मुझसे मेरे व मेरे पिताजी के बैंक खातो से होल्ड हटवाने के लिए पैसो की बात करेगा। इस पर परिवादी को ग्राम पीपलखेडी से कुछ दूरी पहले सुरक्षित स्थान पर ले जाकर निर्देशानुसार डीवीआर चालू व बन्द करने की विधि समझाई तथा डीवीआर को चालू कर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु आरोपी सरपंच नारायण लाल मेहता के पास उसके गावं पीपलखेडी रवाना किया तथा मै सरपंच के गांव पीपलखेडी के बाहर ही सुरक्षित जगह पर परिवादी के वापस आने के इंतजार में मुकीम रहा। लगभग आधे घण्टे बाद परिवादी श्री आशाराम मय डीवीआर के वापस मेरे पास आया तथा डीवीआर बन्द कर मुझे सुपुर्द किया तथा बताया कि मेरी श्री नारायण लाल मेहता सरपंच से उसके खिलान पर बने घर पर बात हुई जिसमें श्री नारायण लाल मेहता सरपंच ने मेरे व मेरे पिताजी के पीएम जनमन योजना के अन्तर्गत आवंटित हुए आवास के रूपयो का एसबीआई बैंक के खाते से होल्ड हटवाने के लिए दोनो फार्म पर हस्ताक्षर करने के लिए पांच पांच हजार रूपये कुल दस हजार रूपये मांगे है तथा पैसो की व्यवस्था कर मैंने सोमवार को सरपंच को देने के लिए कहा है। हमारे बीच में जो भी बातें हुई है वो सब इस मशीन में रिकार्ड हो गई है। परिवादी ने यह भी बताया कि मुझे सरपंच द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि दस हजार रूपये की व्यवस्था करनी है तथा मुझे आवश्यक कार्य भी है। मै सोमवार दिनांक 05.08.2024 को एसीबी कार्यालय बारां रिश्वत राशि लेकर उपस्थित हो जाउंगा। इस पर मैने जरिये मोबाईल आपको अवगत कराया था तथा आपके निर्देशानुसार परिवादी को उसके गांव पर ही छोडकर, मामले को गोपनीय रखने की हिदायत देकर वापस आया हू।" मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर को चालू कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी सरपंच दुबारा दस हजार रूपये रिश्वत मांगने की पुष्टि होना पाया गया। डीवीआर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। दिनांक 05.08.2024 को परिवादी आशाराम एसीबी कार्यालय बारां उपस्थित आया। परिवादी ने बताया कि मेरे व मेरे पिताजी के पीएम जनमन आवास का होल्ड हटाने के बदले में सरपंच ने 10 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगी थी मै गरीब आदमी हूं आज मुझसे 5000 रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है। मै सरपंच साहब को इस राशि में ही राजी कर लूगां। परिवादी से सत्यापन के हालात के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने श्री दिनेश कानि0 360 के दुबारा 03.08.2024 को बताये गये कथनो की ताईद की। परिवादी के बताये अनुसार उक्त ट्रेप कार्यवाही का आयोजन दिनांक 05.08.2024 को ही किया जाने की सम्भावना होने से दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने पर गवाह तलबी का पत्र तैयार किया गया। समय 2.40 पीएम. पर श्री लोकेश कुमार कानि0 362 को मय पत्रांक 928 दिनांक 05.08.2024 जिला आबकारी अधिकारी बारां के नाम जारी कर दो स्वतंत्र गवाह साथ लाने के लिये रवाना किया गया। जो समय 3.00 पीएम. पर जिला आबकारी अधिकारी बारां के कार्यालय से अपने साथ श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्योसिंह जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी ग्राम बरवटपुरा पो0 ताली थाना मासलपुर तह0 मासलपुर जिला करौली हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बारां एवं श्री प्रदीप मीणा पुत्र श्री सज्जन मीणा उम्र 22 साल जाति मीणा निवासी बटावदा थाना सदर बारां हाल बजाज शोरूम के पीछे आदर्श नगर कोटा रोड बारां हाल कनिष्ठ सहायक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय बारां को लेकर आया। दोनो स्वतंत्र गवाहो का परिचय प्राप्त कर कार्यालय में मौजूद परिवादी आशाराम से उनका आपसी परिचय करवाया। बाद परिचय होने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में बताया गया दोनो गवाहो से होने वाली ट्रेप कार्यवाही मे उपस्थित रहने की मौखिक सहमति चाही तो दोनो गवाहान ने अपनी अपनी सहमती दी। परिवादी द्वारा दिनांक 02.08.2024 को पेश प्रार्थना पत्र को दोनो गवाहान को पढकर सुनाया तथा दोनो गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर उस पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। दोनो गवाहो एवं परिवादी को कार्यालय के लेपटोप में डीवीआर को लगाकर उसमें दिनांक 03.08.2024 को परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिकार्डेड सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। समय 3.25 पीएम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री आशाराम से आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने को कहा गया तो परिवादी श्री आशाराम पुत्र श्री रामलाल जाति सहरिया निवासी खिरिया तह0 शाहबाद जिला बारां ने अपने पास से निकालकर आरोपी नारायण लाल मेहता सरपंच को बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु पांच-पांच सौ के दस नोट कुल अक्षरे पांच हजार रूपये मन् प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस, एसीबी चौकी बारां को पेश किये। परिवादी द्वारा पेश भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर पृथक पृथक फर्द पेशकशी व दृष्टान्त सोडियम कार्बोनेट प्रतिक्रिया में अंकित किये जो निम्न प्रकार है- क्र.स नोटों का विवरण नोटों के नम्बर 1.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5 KR 740993 2एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3 DQ 536002 3एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर9 HV 125788 4 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3 AM 704840 5एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7 AQ 444744 6 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7 NN 065384 7 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3 MF 844422 8एक नोट पांच सौ रूपये का

नम्बर 9 HR 406828 9 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4 BF 218569 10 एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3 KE 594220 उपरोक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान द्वारा फर्द पेशकशी व दृष्टान्त सोडियम कार्बोनेट प्रतिक्रिया से करवाया गया तो हूबहू वही नोट होना पाया गया तत्पश्चात् श्री यशवन्त शर्मा कनिष्ठ सहायक से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोंफ्थलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री आशाराम की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विरेन्द्र सिंह से लिवाई जाकर परिवादी श्री आशाराम के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा मोबाईल फोन को छोडकर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये पांच-पांच सौ रूपये के दस नोटो कुल पांच हजार रूपयों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिने जेब में श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक से रखवाये गये। इसके बाद एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक के हाथ की उंगलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोंफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन पाउडर युक्त नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिससे यह साबित होगा कि संदिग्ध व्यक्ति ने रिश्वत राशि प्राप्त की है। घोल को बाहर फिंकवाया गया। दृष्टान्त की कार्यवाही के बाद जिस अखबार/डिस्पोजल का उपयोग किया गया था उस अखबार एवं डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई। श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक के हाथ को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों, परिवादी, गवाहो व मैने भी अपने-अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये। परिवादी श्री आशाराम को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुवे एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उसे रिश्वत राशि देवें। परिवादी श्री आशाराम को समझाया कि रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फैरकर ईशारा करे या अपने मोबाईल नम्बर से मन् उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर कॉल कर रिश्वत प्राप्ति की सूचना दे। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड परिवादी को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया गया तथा रिश्वत लेनदेन के समय की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को आवश्यक समझाईश की गई। समय 03.45 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री ज्ञानचंद शर्मा स0उ0नि0, परिवादी आशाराम, श्री दिनेश कानि0 360 श्री मनोज कुमार कानि0 211, श्री लोकेश कुमार कानि0 362 मय चालक कानि0 श्री नरेन्द्र सिंह 530 एवं स्वतंत्र गवाह स्वतंत्र गवाह श्री विरेन्द्र सिंह व प्रदीप मीणा मय एक सरकारी व एक प्राईवेट वाहन से ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर आदि आवश्यक सामान साथ लेकर रवाना हुआ। नोटों पर फिनोंफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में उपस्थित रहने की हिदायत कर कार्यालय में छोडा गया। समय 04.04 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी की लोकेशन जानने के लिये परिवादी आशाराम के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी सरपंच नारायण लाल के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता करवाई तो आरोपी सरपंच ने परिवादी से शाम को मिलने की कहा तथा स्वयं को शाहबाद आने की बात कही। उक्त वार्ता को कार्यायल के डीवीआर मय के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। इस पर मन उप अधीक्षक मय हमराहीयान के आरोपी सरपंच के वापस आने की प्रतिक्षा में सुरक्षित स्थान पर मुकीम रहा। समय 05.40 पी0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी सरपंच की लोकेशन जानने के लिये परिवादी आशाराम के मोबाईल का स्पीकर ऑनकर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी सरपंच नारायण लाल के मोबाईल नम्बर [redacted] पर पुनः वार्ता करवाई तो आरोपी सरपंच ने शाम को वापस आने की कहा तथा स्वयं को शाहबाद ही होने की बात कही। उक्त वार्ता को कार्यायल के डीवीआर मय के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। इस पर परिवादी ने कहा कि आज सरपंच साहब शाहबाद चले गये है उनको आने में समय लग सकता है इसलिये अब सुबह ही रिश्वत राशि का लेनदेन होगा। परिवादी के बताये अनुसार एवं उसकी आरोपी सरपंच से हुई वार्ता के अनुसार ट्रेप कार्यवाही होना संभव नहीं होने से समय 05.50 पी0एम0 पर समय मन उप अधीक्षक पुलिस मय साथ लाये दोनो वाहनो मय स्टाफ मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटाप, प्रिन्टर आदि आवश्यक सामान के बारां के लिये रवाना होकर समय 06.40 पी0एम0 पर एसीबी कार्यायल बारां पहुंचा। दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को दी गई रिश्वत राशि श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक से परिवादी की पेंट की जेब से निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाई तथा उक्त रिश्वत राशि के लिफाफे को मालखाने में सुरक्षित रखवाया। परिवादी ने बताया कि मैरी पत्नि का स्वास्थ्य खराब है इसलिये मेरा घर वापस जाना आवश्यक है। मै सुबह 9.00 बजे आपको खिरिया रोड पर उपस्थित मिल जाउंगा आप वहां पर आ जाना। परिवादी के पारिवारिक समस्या होने के कारण परिवादी को गोपनीयता की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया। दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं स्टाफ को सुबह 8.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 06.08.2024 समय 08.20 ए0एम0 पर दोनो स्वतंत्र गवाह एवं एसीबी जाप्ता कार्यालय में उपस्थित आया। दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मालखाने से रिश्वत राशि का लिफाफा श्री उमाशंकर हैड कानिस्टेबल मालखाना प्रभारी से निकलवाकर श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक के पास रखवाया गया

। समय 08.30 ए0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्री ज्ञानचंद शर्मा स0उ0नि0, श्री उमाशंकर हैड कानि0 125, श्री मनोज कुमार कानि0 211, श्री लोकेश कुमार कानि0 362, श्री दिनेश कानि0 360, श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक मय चालक कानि0 श्री नरेन्द्र सिंह 530 एवं स्वतंत्र गवाह श्री प्रदीप मीणा व श्री विरेन्द्र सिंह मय एक प्राईवेट व एक सरकारी वाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटोप, प्रिन्टर आदि आवश्यक सामान के रवाना होकर समय 09.15 ए0एम0 पर खिरिया रोड पर पहुंचा। दोनो वाहनो को रोड पर एक साईड में खडा करवाया। समय 9.19 एएम पर मन उप अधीक्षक ने अपने मोबाईल से परिवादी के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर खिरिया रोड पर अपने पास बुलाया। मन उप अधीक्षक पुलिस खिरिया रोड पर परिवादी के आने की प्रतिक्षा में मुकीम रहा। समय 09.40 ए0एम0 पर परिवादी श्री आशाराम अपनी मोटरसाईकिल से मन उप अधीक्षक के पास आया। परिवादी ने बताया कि आरोपी सरपंच केलवाडा ही आया हुआ है और वह मुझसे केलवाडा में ही रिश्वत राशि लेनदेन करेगा। इस पर श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक के पास से रिश्वत राशि का लिफाफा निकलवाकर उसमें रखी गई रिश्वत राशि 5000 रूपये को परिवादी की पहनी पेन्ट की सामने की दांयी जेब में रखवाया गया। श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक को एसीबी चैकी बारां के लिये रवाना किया गया। परिवादी को डिजिटल वॉइस रिकार्डर सुपुर्द कर चालू व बंद करने की विधि पुनः समझाई गई तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्ति का ईशारा सिर पर हाथ फेरकर करने या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर कॉल करने के बारे में समझाया। परिवादी को दिया गया डीवीआर चालू किया तथा उसकी मोटर साईकिल पर निगरानी हेतु श्री दिनेश कानि0 360 व श्री मनोज कानि0 211 को रवाना किया मन उप अधीक्षक दोनो वाहनो से धीरे धीरे उनके पीछे पीछे रवाना हुआ। खिरिया रोड पर पेट्रोल पम्प के पास दोनो वाहनों को छिपाव करते हुये खडा किया। तहसील के सामने परिवादी की गाडी से दिनेश कानि0 360 व मनोज कानि0 211 नीचे उतर गये तथा परिवादी कुछ दूर आगे चलकर एक मोटर साईकिल वाले व्यक्ति के पास गया तथा उससे बाते करने लगा। कुछ समय बाद वह आदमी अपनी मोटर साईकिल लेकर आगे आया तो परिवादी भी उसके पीछे पीछे आया। इसी दौरान वह आदमी साईड की गली में निचे चला गया। समय 10.04 ए0एम0 पर परिवादी बिना इशारा किये ही अपनी मोटर साईकिल से मन उप अधीक्षक पुलिस के पास आया। परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त किया व बन्द कर अपने पास रखा। परिवादी ने बताया कि सरपंच साहब ने रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की है उनके पास में गया तो उन्होने जेसीबी वाले को रिश्वत राशि देने के लिये कहा। उस पर मैने उसे रिश्वत राशि नही दी। इसी दौरान सरपंच साहब के पास एक आदमी आया और उनसे सरपंच साहब से कुछ कहा इसके बाद सरपंच साहब वहां से बिना पैसे लिये ही मोटर साईकिल लेकर चले गये। तत्पश्चात् मन उप अधीक्षक ने डीवीआर चालू कर रिकार्ड वार्ता को सुना तो परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। परिवादी ने यह भी बताया कि शायद मैने सरपंच के कहे अनुसार जेसीबी वाले को रिश्वत राशि नही दी इसलिये उन्हे शक होने से सरपंच वहां से सतर्कता बरतते हुये बिना रिश्वत राशि प्राप्त किये चला गया है। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक मय दोनो वाहनो एवं परिवादी के साथ हाईवे पर कुछ दूरी पर शाहबाद की तरफ आकर सुरक्षित स्थान पर खडा हुआ तथा आरोपी सरपंच के फोन आने का इन्तजार करने लगा। समय 10.49 ए0एम0 पर आरोपी सरपंच के फोन नही आने पर परिवादी के मोबाईल से आरोपी सरपंच के मोबाईल पर कॉल करवाया गया तो आरोपी सरपंच का मोबाईल स्वीच ऑफ आया। परिवादी ने बताया कि सरपंच साहब को मेरे उपर शक हो गया है। इसलिये वो आज मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त नही करेंगे। परिवादी के बताये अनुसार एवं हालात से आज ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होने की संभावना नही होने से समय 11.05 ए0एम0 पर परिवादी की मोटर साईकिल पर श्री लोकेश कानिस्टेबल को बारां के लिये रवाना कर मन उप अधीक्षक पुलिस मय साथ लाये दोनो वाहनो मय स्टाफ मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहन ट्रेपबॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के बारां के लिये रवाना होकर समय 11.55 ए0एम0 पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय प्राईवेट व सरकारी वाहन मय हमराही स्टाफ मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहन के व ट्रेपबॉक्स व अन्य सामग्री के कार्यालय हाजा बारां पहुंचा। दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी के पास रखी गई रिश्वत राशि श्री यशवन्त कनिष्ठ सहायक से परिवादी की पेंट की जेब से निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाई तथा उक्त रिश्वत राशि के लिफाफे को मालखाने में सुरक्षित रखवाया। समय 12.15 पी0एम0 पर दिनांक 03.08.2024 को परिवादी आशाराम व आरोपी सरपंच नारायण लाल के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर के मेमे ारी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वॉइस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी आशाराम व स्वतंत्र गवाहो के समक्ष परिवादी से आवाज पहचान कराते हुये फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हू ब हू मेरे निर्देशन में श्री दिनेश कुमार कानिस्टेबल 360 से तैयार करवाई गयी। जिसमें परिवादी ने स्वयं की व आरोपी की आवाज की पहचान की। सभी सम्बन्धितों ने पढकर एवं सुन समझ सही मान अपने अपने हस्ताक्षर किये। फर्द ट्रांसक्रिप्ट शामिल पत्रावली की गई। समय 2.50 पी0एम0 पर दिनांक 05.08.2024 को समय 04.04 पीएम पर परिवादी आशाराम व आरोपी सरपंच नारायण लाल के मध्य आरोपी सरपंच की लोकेश न जानने हेतु कराई गई मोबाईल वार्ता जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर के मेमे ारी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वॉइस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी आशाराम व स्वतंत्र गवाहो के समक्ष परिवादी से आवाज पहचान कराते हुये फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता-प्रथम हू ब हू मेरे निर्देशन में श्री दिनेश कुमार कानिस्टेबल 360 से तैयार करवाई गयी। जिसमें परिवादी ने स्वयं की व आरोपी आवाज की पहचान की। सभी सम्बन्धितों ने पढकर एवं सुन सही मान अपने अपने हस्ताक्षर किये। फर्द

ट्रांसक्रिप्ट शामिल पत्रावली की गई। समय 03.00 पी0एम0 पर दिनांक 05.08.2024 को समय 05.40 पीएम पर परिवादी आशाराम व आरोपी सरपंच नारायण लाल के मध्य आरोपी सरपंच की लोकेश न जानने हेतु कराई गई मोबाईल वार्ता जो डिजीटल वॉइस रिकार्डर के मेमेारी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वॉइस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी आशाराम व स्वतंत्र गवाहो के समक्ष परिवादी से आवाज पहचान कराते हुये फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ता-द्वितीय हू ब हू मेरे निर्देशन में श्री दिनेश कुमार कानिस्टेबल 360 से तैयार करवाई गयी। जिसमें परिवादी ने स्वयं की व आरोपी आवाज की पहचान की। सभी सम्बन्धितों ने पढकर एवं सुन सही मान अपने अपने हस्ताक्षर किये। फर्द ट्रांसक्रिप्ट शामिल पत्रावली की गई। समय 03.15 पी0एम0 पर दिनांक 06.08.2024 को परिवादी आशाराम व आरोपी सरपंच नारायण लाल के मध्य हुई रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता जो डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड थी। उक्त डिजीटल वॉइस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर में लगाया जाकर, स्पीकर चालू कर परिवादी व गवाहो के समक्ष परिवादी आशाराम से आवाज की पहचान कराते हुये फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता को हू ब हू मेरे निर्देशन में श्री दिनेश कुमार कानिस्टेबल 360 से तैयार करवाई गयी। जिसमें परिवादी ने स्वयं की व आरोपी की आवाज की पहचान की। सभी सम्बन्धितों ने पढकर एवं सुन सही मान अपने अपने हस्ताक्षर किये। फर्द ट्रांसक्रिप्ट शामिल पत्रावली की गई। समय 05.00 पी0एम0 पर दिनांक 03.08.2024, 05.08.2024 तथा 06.08.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, मोबाईल वार्ता प्रथम व द्वितीय तथा रिश्वत लेन देन प्रयास वार्ता फाईल नम्बर (240803_1014, 240805_1603, 240805_1738, 240806_0943) जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में सेव थी को कार्यालय के सरकारी कम्प्यूटर मे सेव करवाकर कार्यालय के कम्प्यूटर से 04 पेन ड्राईव (SanDisk Cruzer blade 32 GB) में श्री दिनेश कानि0 360 से सेव करवाई गयी। जिसकी फर्द डंबिग पेन ड्राईव श्री दिनेश कानि0 360 से तैयार करवाकर एक पेन ड्राईव वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव आवाज नमूना के लिए तथा एक पैन ड्राईव आरोपी के लिए कपडे की थैलीयों मे पृथक पृथक रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए खुली रखी गई। जर्ये कम्प्यूटर से मूल मेमोरी कार्ड की हैष वैल्यु की गणना (MD5, SHA1) में कर प्रिन्ट निकालकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकोर्डर में उपयोग किये गये SanDisk Ultra 32 gb A1 मेमोरी कार्ड को डीवीआर में से निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिये एक कपडें की थैली में रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये। डीवीआर में लगे हुए मेमोरी कार्ड की रिकार्डेड वार्ताओ से पैन ड्राईव डंबिग के दौरान किसी प्रकार की छेडछाड व कांट छांट नही की गई। कार्यवाही की फर्द डबिंग पेनड्राईव एवं जप्ती मूल मेमोरी कार्ड तैयार कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 05.15 पी0एम0 पर परिवादी श्री आशाराम व स्वतन्त्र गवाहान को बाद कार्यवाही सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 11.09.2024 समय 01.15 पीएम पर परिवादी श्री आशाराम पुत्र रामलाल उम्र 35 वर्ष गांव खिरिया तह0 शाहबाद जिला बारां उपस्थित कार्यालय आया तथा एक टाइ्रपशुदा प्रार्थना इस आशय का पेश किया कि मैं ग्राम खिरिया तहसील शाहबाद जिला बारां का निवासी हूं तथा मजदूरी का काम करता हूं मेरे व मेरे पिता रामलाल जी के नाम पी0एम0 जनमन योजना के अन्तर्गत आवास स्वीकृत हुआ था। जिसकी प्रथम किश्तपास हो गई है तथा हमने उपयोग में भी ले ली है। इसके बाद दूसरी किश्तके 70000रू0 मेरे व मेरे पिता रामलालजी के एसबीआई के खाते में जमा हो गये है। परन्तु हमारे खाते होल्ड हो रखे है। खातों के होल्ड को हटवाने के लिये मैने ईमित्र से आवेदन लेकर उस पर हमारे हल्के के ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, एएनएम, वार्डपंच व अन्य जनप्रतिनिधि के हस्ताक्षर करवा लिये है। इसके बाद में आवेदन फार्म पर हमारी ग्राम पंचायत पीपलखेडी के सरपंच साहब श्री नारायण लाल के हस्ताक्षर करवाने के लिये उनसे जाकर मिला तो वह हमारे दोनो खातों का होल्ड हटवाने के लिए पांच पांच हजार रूपये कुल 10000 रूपये की रिश्वत मांग की थी। जिसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु मैने दिनांक 02.08.2024 को आपके कार्यालय में आकर प्रार्थना पत्र आपको पेश किया था। उस पर आप द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 03.08.2024 को मेरी शिकायत का सत्यापन करवाया था। सत्यापन होने के बाद ट्रेप कार्यवाही हेतु मैने आपको 5000 रूपये पेश किये थे तथा दिनांक 05.08.2024 व 06.08.2024 को सरपंच साहब नारायण लाल को रंगे हाथों पकडने का प्रयास किया था। लेकिन नारायण लाल मेहता सरपंच पीपलखेडी को शक होने के कारण रिश्वत राशि नही ली तथा अब इसमें कार्यवाही होने की संभावना नही है क्योकि हमारे खाते के होल्ड हटा दिया है और किश्त के 35000 रूपये हमने प्राप्त कर लिये है। अतः मेरे द्वारा अब तक करवाई गई कार्यवाही के आधार पर ही सरपंच साहब के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर मेरे द्वारा दिनांक 05.08.2024 को पेश की रिश्वत राशि मुझे लौटाने की कृपा करें । परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं बताये गये हालत से अब ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होने की संम्भावना नहीं होने से समय 01.25 पीएम पर जर्ये दुरभाष उक्त कार्यवाही के पूर्व के स्वतन्त्र गवाहान श्री विरेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री प्रदीप मीणा कनिष्ठ सहायक को तलब किया गया। समय 01.55 पीएम पर तलविदाशुदा स्वतन्त्र गवाहान विरेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री प्रदीप मीणा कनिष्ठ सहायक उपस्थित चौकी आये। जिनसे मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिचय प्राप्त कर परिवादी से परिचय करवाया। परिवादी द्वारा आज दिनांक को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वतन्त्र गवाहान को पढवाकर हालात बताये जाकर प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 2.00 पीएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान विरेन्द्र सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री

प्रदीप मीणा कनिष्ठ सहायक के समक्ष परिवादी श्री आशाराम को रिश्वत राशि 5000 रूपये की मालखाने से निकलवाकर उन पर से फिनाफ्थलीन पावडर अच्छी तरह साफ करवाकर सुपुर्द की गई तथा कार्यवाही फर्द सुपुर्दगी मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। बाद कार्यवाही परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान को आवश्यक हिदायत देकर सकुशल रूखसत किया गया । सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही हालात व फर्दात् से पाया गया कि आरोपी सरपंच श्री नारायण लाल ग्राम पंचायत पीपलखेडी पंचायत समिति शाहबाद जिला बारां द्वारा परिवादी श्री आशाराम से उसके स्वयं के एवं उसके पिताजी के जनमन योजना के तहत आवास पास होने पर प्राप्त होने वाली दुसरी किश्त के लिये बैंक खाते में लगे होल्ड को हटवाने के लिये पांच-पांच हजार रूपये कुल 10,000 रूपये की रिश्वत की मांग की गई। जिसका दिनांक 03.08.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया। सत्यापन में प्रति खाते का होल्ड हटवाने हेतु पांच पांच हजार रूपये कुल 10000 रूपये मांगने की पुष्टि हुई व प्रथम किश्त के 5000 रूपये दिनांक 05.08.2024 को लेना तय हुआ। दिनांक 05.08.2024 व 06.08.2024 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। लेकिन आरोपी नारायण लाल को परिवादी पर शक हो जाने से आरोपी द्वारा स्वयं रिश्वत राशि प्राप्त नही कर जेसीबी वाले को देने के लिये कहा लेकिन परिवादी द्वारा जेसीबी वाले को रिश्वत राशि नही दी। इस कारण ट्रेप कार्यवाही पूर्ण नही हो सकी। इस प्रकार परिवादी आशाराम से आरोपी श्री नारायण लाल पुत्र श्री घांसीलाल जाति किराड़ उम्र 54 साल निवासी ग्राम पिपलखेडी थाना केलवाडा जिला बारां हाल सरपंच ग्राम पंचायत पिपलखेडी पंचायत समिति व तहसील शाहबाद जिला बारां द्वारा 10000 रूपये की रिश्वत मांगने व प्राप्त करने हेतु सहमत होने से उसका उक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत प्रथम दृश्टया प्रमाणित पाया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवा में प्रेषित है। (प्रेमचन्द) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां.......कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द,उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बारां ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नारायण लाल पुत्र श्री घांसीलाल जाति किराड़ उम्र 54 साल निवासी ग्राम पिपलखेडी थाना केलवाडा जिला बारां हाल सरपंच ग्राम पंचायत पिपलखेडी पंचायत समिति व तहसील शाहबाद जिला बारां के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री देशराज गुर्जर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 259 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1471-74 दिनांक 19-11-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। 3- आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** DESHRAJ GURJAR **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1960				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)